11/वि०पें०
दि०20/03/2025

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : **दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपान्तरण के पुनर्स्थापन के संबंध में ।**

राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कर्मियों, जिन्हें पेंशन अनुमान्य है, के मूल पेंशन के अधिकतम 40 प्रतिशत भाग को रूपान्तरित कराये जाने का प्रावधान है । न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है ।

2. राज्य सरकार द्वारा वेतन/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी संकल्प प्रायः उनके प्रभावी होने की तिथि के कुछ माह उपरांत ही संसूचित हो पाते है । ऐसी स्थिति में इस मध्यवर्ती अंतराल में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के पूर्व में स्वीकृत पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी प्राधिकार पत्र कुछ अंतराल के बाद ही निर्गत हो पाते है । इन परिस्थितियों में पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप रूपांतरित पेंशन की धनराशि में भी संशोधन हो जाता है ।

3. भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 42/15/2022 P&PW(D)/3 दिनांक 25.10.2022 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 42/15/2022 P&PW(D)/4 दिनांक 25.10.2022 में किये गये प्रावधान के आलोक में पुनरीक्षित रूपान्तरित पेंशन की कटौती/समायोजन के संबंध में निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. अतः भारत सरकार के उपर्युक्त पत्रों के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के उपरांत सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन रूपान्तरण के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है :-

(क) वैसे सेवानिवृत कर्मी जिसने अपनी पेंशन का कोई भाग रूपांतरित कराया है और पुनरीक्षण के पश्चात् उसकी पेंशन भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ गई है, को बढ़ी हुई पेंशन के क्रम में रूपांतरित राशि और पूर्व में अधिकृत रूपांतरित राशि के बीच के अन्तर का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) पेंशन पुनरीक्षण के उपरांत उस प्रतिशत में रूपांतरण अनुमान्य होगा जिस प्रतिशत में पूर्व में अनुमान्य किया गया हो । अर्थात पूर्व स्वीकृत पेंशन रूपांतरण का प्रतिशत परिवर्तित नहीं किया जायगा ।

(ग) पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर रूपांतरण मूल्य (Commutaion Value) वही रहेगा जैसा कि मूल रूपांतरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमान्य था ।

(घ) रूपांतरित के मामलों में पेंशन से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा रूपांतरित धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी अर्थात इस प्रकार के मामलों में रूपांतरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियाँ होंगी अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के रूपांतरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्त्तमान रूपांतरण की भुगतान की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी ।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी माना जाएगा ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 12.03.2025 की बैठक में मद संख्या 25 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20/03/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-07/2022.11./वि०पें० राँची, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/03/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-9/पें०(6)-07/2022.11./वि०पें० राँची, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/03/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-9/पें०(6)-07/2022.11/वि०पें० राँची, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

20/03/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।